

मुकदमों का विवरण

नवीन @ए. जे. ए. वाई. वी.

मध्य प्रदेश राज्य (2019 की आपराधिक अपील संख्या 489-490) 19 अक्टूबर, 2023

[बी. आर. गवई, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या अपीलार्थी को एक निष्पक्ष सुनवाई का आदेश दिया गया था; क्या वह अपने मूल्यवान कानूनी अधिकारों से वंचित था।

दंड संहिता, **1860** -धारा. **303**-अपीलार्थी को **3** महीने की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी-उसकी मौत की सजा उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पूरा मुकदमा **15** दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया गया था और अपीलार्थी को एक निष्पक्ष मुकदमे का आदेश नहीं दिया गया था-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: आदेश-पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि मुकदमा बचाव पक्ष के वकील को पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान किए बिना जल्दबाजी में आयोजित किया गया था, जो कानूनी सहायता के माध्यम से लगे हुए थे, खुद को प्रभावी रूप से तैयार करने के लिए-यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि डी. एन. ए. रिपोर्ट, एफ. एस. एल. रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट की प्रतियां आरोप-पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई थीं और मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं-जब रिपोर्टों को आरोपी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, तो इसे यह कहते हुए दरकिनार कर दिया गया था कि भले ही रिपोर्ट के लेखकों को सबूत के लिए नहीं बुलाया गया था, धारा 293 Cr.P.C के संदर्भ में, रिपोर्ट सवाल के लिए खुली नहीं हैं क्योंकि बचाव पक्ष के पास रिपोर्ट के लेखकों से जिरह करने का अवसर था।

977

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

उक्त विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारी हैं और जेल में एक अभियुक्त के अनुरोध पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते थे-वास्तविक अर्थों में, अपीलार्थी को विशेषज्ञों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं था-इसलिए, निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थी को अपना बचाव करने के लिए उचित

अवसर प्रदान करके मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया जाता है।[पैरा 8,10,21,22]

आपराधिक मुकदमा-निष्पक्ष मुकदमा-इसकी परिभाषा:

आयोजित किया गया:निष्पक्ष विचारण की अवधारणा की कोई विश्लेषणात्मक, सर्व-व्यापक या संपूर्ण अवहेलना नहीं हो सकती है, और इसे अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की वास्तविक स्थितियों में निर्धारित करना पड़ सकता है, जैसे कि क्या कुछ ऐसा किया गया था या कहा गया था जो मुकदमे से पहले या मुकदमे में निष्पक्षता की गुणवत्ता से इस हद तक वंचित था कि न्याय की विफलता हुई है-प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में निष्पक्ष रूप से निपटा जाने का अंतर्निहित अधिकार है-निष्पक्ष मुकदमे से इनकार करना आरोपी के लिए उतना ही अन्याय है जितना कि पीड़ित और समाज के लिए है-निष्पक्ष मुकदमे का मतलब स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति का वातावरण के सामने मुकदमा होगा-निष्पक्ष मुकदमे का मतलब एक ऐसा मुकदमा है जिसमें पक्षपात या पूर्वाग्रह होता है या उसके लिए पूर्वाग्रह होता है।[पैरा 16]

सिद्धांत/सिद्धांत-न्यायिक शांति-चर्चा की गई।[पैरा **16,17**]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

बशीरा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1313:[1969] एस. सी. आर. 32; जहिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्न। बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2004) 4 एस. सी. सी. 158:[2004] 3 एस. सी. आर. 1050; अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2019) 20,979

नवीन @अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य 980

एससीसी 196:राहुल बनाम दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय प्रसारण और अन्न (2023) 1 एस. सी. सी. 83; मनोज और अन्य। बनाम एम. पी. राज्य (2023) 2 एस. सी. सी. 353:अनिल @एंथनी अरिक्सवामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एस. सी. सी. 69:[2014] 3

एस. सी. आर. 34-पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2019 की आपराधिक अपील संख्या 489-490।

2018 के सी. आर. आर. संख्या 3 और 2018 के सी. आर. एल. ए. <आई. डी. 2 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.12.2018 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

बी. एच. मालापल्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता, भावेश सेठ, अविनाश कुमार सौरभ, हरिनी रघुपति, रजत मित्तल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

पशुपति नाथ राजदान, सुश्री स्मृति राजदान, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, पुलकित अग्रवाल, अस्तिक गुप्ता, सुश्री आकांक्षा तोमर, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, जे।

इन अपीलों में भारतीय दंड संहिता 1 की धारा 363, 366-ए, 376 (ए), 376 (2) (आई), 376 (2), 376 (के), 376 (2) (के), 376 (2) (एम), 302 और 201 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 2 की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (एम), 5 (आई) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए 2018 की आपराधिक संदर्भ संख्या 3 और 2018 की आपराधिक अपील संख्या 3830 में इंदौर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के विवादित फैसले पर सवाल उठाए जाएंगे।

1 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी')

2 (संक्षेप में, 'पॉक्सो')

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

पी. एस. सराफा, इंदौर, मध्य प्रदेश में पंजीकृत 2018 के अपराध सं. 50 दिनांक 20.04.2018 से उत्पन्न 2018 का।

2. अपीलार्थी को 3 महीने की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है।अपीलार्थी पर उपरोक्त आरोपों के लिए इस आरोप पर मुकदमा चलाया गया था कि शिकायतकर्ता-सुनील और उनकी पत्नी गुब्बारे बेचने के व्यवसाय में लगे हुए थे और वे राजवाड़ा, इंदौर (मध्य प्रदेश) में रह रहे थे।20.04.2018 पर, शिकायतकर्ता-सुनील अपने परिवार के सदस्यों के साथ लगभग 3 बजे राजवाड़ा के पास एक मंच पर सो रहे थे:00 उनकी लगभग तीन महीने और चार दिन की बेटी (मृतक) रोने लगी, जिस पर उनकी माँ सोनुबाई ने दूध पिलाया, उसके बाद मृतक सो गई।लगभग 05 बजे:00 ए. एम. जब शिकायतकर्ता-सुनील और उसके परिवार के सदस्य जाग

गए, तो उन्होंने मृतक को उस स्थान पर नहीं देखा जहां वह सो रही थी। खोजबीन के बावजूद वे उसे नहीं ढूंढ सके। इसके बाद, सुनील ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, सराफा, इंदौर में 2018 के अपराध संख्या 50 (Ex.P-7) के रूप में दर्ज कराई। लगभग 1 बजे श्री दीपक जैन (पीडब्लू-5) ने पुलिस स्टेशन एमजी रोड, इंदौर (एमपी) को सूचित किया कि श्रीनाथ पैलेस सोसाइटी, इंदौर में लगभग तीन महीने की एक लड़की का शव मिला है। एम. ई. आर. जी. की सूचना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 के तहत दर्ज की गई थी। शव मिलने की जानकारी मिलने पर सुनील मौके पर गया और मृतक की पहचान उसकी बेटी के रूप में की। शव का पोस्टमॉर्टम किया गया और इसकी रिपोर्ट डॉ. पूनम माथुर (पीडब्लू-20) ने एक्स के माध्यम से प्रस्तुत की। पी-53। सीसीटीवी फुटेज से साक्ष्य एकत्र करने, आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट आदि सहित जांच पूरी करने के बाद, 27.04.2018 पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। डीएनए रिपोर्ट बाद में मुकदमे के दौरान पेश की गई थी।

3. मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य के आधार पर, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 29 गवाहों की जांच की और विशेषज्ञ राय/रासायनिक रिपोर्ट/एफएसएल रिपोर्ट सहित 78 दस्तावेजों को भी साबित किया, निचली अदालत ने अपीलार्थी को उस विषय के लिए दोषी ठहराया, जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करना पसंद किया। सत्र न्यायालय ने मौत की सजा को स्वीकार करने के लिए धारा 396 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय को भी निर्देश भेजा। उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को स्वीकार कर लिया है और

3 (संक्षेप में, 'Cr.P.C.)

981

नवीन @अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 982

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा की गई आपराधिक अपील को भी विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

4. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। उनके पास लंबी दलीलें हैं और उन्होंने हमें रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य के माध्यम से ले लिया है। हालाँकि, आदेश की प्रकृति को देखते हुए, हम पारित करने का प्रस्ताव करते हैं, हम रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विवरण का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

5. शुरुआत में, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. एच. मालापल्ले ने अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री रजत मित्तल की सहायता से तर्क दिया कि इस तरह के गंभीर अपराधों के लिए पूरा मुकदमा 15 दिनों की अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया है, यानी 27 अप्रैल, 2018 (जब आरोप पत्र दायर किया गया था) से 12 मई, 2018 (जब सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था) तक। 27 अप्रैल, 2018 से 12 मई, 2018 तक निचली अदालत द्वारा दर्ज आदेश-पत्र का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी को उसके मूल्यवान कानूनी अधिकारों से वंचित करते हुए एक निष्पक्ष सुनवाई का आदेश नहीं दिया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि डी. एन. ए. रिपोर्ट (Ex.P-72) कानून के अनुसार साबित नहीं हुई है। मुकदमे के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों की जांच नहीं की गई थी, न ही रिपोर्ट को आरोपी को स्वीकार करने के लिए या अन्यथा रखा गया था। 6. प्रत्यर्थी-राज्य के विपरीत

विद्वान वकील, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी ने मुकदमे को जल्दबाजी में पूरा करने या निष्पक्ष मुकदमे से इनकार करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसलिए अपीलार्थी के लिए इस स्तर पर यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि मुकदमा ठीक से और निष्पक्ष रूप से आयोजित नहीं किया गया है। वे प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी के खिलाफ वैज्ञानिक प्रकृति के साक्ष्य प्राप्त करने के मद्देनजर, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी अपीलार्थी को दोषी ठहराने और सजा देने में कोई अवैधता नहीं की है। 7. निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करने के संबंध में दलीलों की सराहना करने के लिए, हमने 27 अप्रैल, 2018 से 12 मई, 2018 तक निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए पूरे आदेश-पत्र को देखा है। जिसका सार नीचे दिया गया है:-

27.04.2018

चार्जशीट फाई ने नेतृत्व किया।

संज्ञान लिया गया।

अभियुक्त को आरोप पत्र की आपूर्ति की गई। उन्होंने कानूनी सहायता के माध्यम से एक वकील की नियुक्ति का अनुरोध किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

उसी दिन नियुक्त कानूनी सहायता से अधिवक्ता।

मामला उसी दिन, कुछ समय बाद, आरोप पर बहस के लिए पोस्ट किया गया था।

बाद में, आरोप पर दलीलें सुनने के लिए मामले को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

28.04.2018

आरोप पर दलीलें सुनी गईं, आरोप तय किए गए।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह आई. डी. 1 की धारा 244 के तहत आवश्यक किसी भी दस्तावेज को स्वीकार करता है, जिस पर अभियुक्त ने किसी भी दस्तावेज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

जिला लोक अभियोजन कार्यालय को आज ही परीक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने 34 गवाहों से पूछताछ के लिए परीक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

01.05.2018

पीडब्लू संख्या 1 से 4 की जांच की गई।

अभियोजन पक्ष को अपने शेष गवाहों को उपस्थित रखने का निर्देश दिया गया (समन जारी नहीं किया गया)।

02.05.2018

पीडब्लू संख्या 5 से 10 की जांच की गई।

अभियोजन पक्ष को अपने शेष गवाहों को उपस्थित रखने का निर्देश दिया गया (समन जारी नहीं किया गया)।

03.05.2018

पीडब्लू संख्या 11 से 15 की जांच की गई।

दो गवाहों को बिना जांच के बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष को अपने शेष गवाहों को उपस्थित रखने का निर्देश दिया गया (समन जारी नहीं किया गया)।

04.05.2018

पीडब्लू संख्या 16 से 20 की जांच की गई।

983

नवीन @अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 984 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर से प्राप्त एफ. एस. एल. रिपोर्ट, क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, झुमारघाट, राउ, इंदौर से प्राप्त मृतक की विसरा रिपोर्ट और राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एम. पी. सरकार से प्राप्त डी. एन. ए. रिपोर्ट, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत।

अभियोजन पक्ष को कल समन के माध्यम से अपने शेष गवाहों को उपस्थित रखने का निर्देश दिया गया था।

05.05.2018

पीडब्लू संख्या 21 से 25 की जांच की गई।

कोई अन्य गवाह पेश नहीं किया गया।

शेष गवाहों को समन के माध्यम से बुलाने का निर्देश दिया गया था।

गवाह-सुनील को जिला जेल, धार से पेशी वारंट के माध्यम से बुलाने का निर्देश दिया गया था (इस गवाह से कभी पूछताछ नहीं की गई थी)।

शेष गवाहों के लिए 07.05.2023 के लिए मामला दायर किया गया।

07.05.2018

पीडब्लू नंबर 26 की जांच की गई।

अभियोजन पक्ष को अपने शेष गवाहों को कल उपस्थित रखने का निर्देश दिया गया था।

08.05.2018

पीडब्लू संख्या 27 से 29 की जांच की गई।

अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य को बंद कर दिया।

मामला कल Cr.P.C की धारा 313 के तहत अभियुक्त की जाँच के लिए पोस्ट किया गया था।

09.05.2018

अभियुक्त से Cr.P.C की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई।

अभियुक्त ने अपनी ओर से बचाव पक्ष के गवाह को पेश करने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया।

उन्हें बचाव पक्ष के गवाह को कल उपस्थित रखने का निर्देश दिया गया था।

10.05.2018

बचाव पक्ष का गवाह मौजूद नहीं था। रक्षा बंद हो गई।

दलों को आज ही (अवकाश के बाद) अंतिम बहस के लिए निर्देशित किया गया था।

अंतिम दलीलें सुनी गईं।

मामला 12.05.2018 पर निर्णय के लिए पोस्ट किया गया था।

12.05.2018

फैसला सुनाया गया।

अभियुक्त और उसके वकील ने सजा के सवाल पर सुनवाई की। सजा पर अभियुक्त की सुनवाई के लिए कुछ समय बाद मामला पोस्ट किया जाता है (आदेश-पत्रक अभियुक्त को दिए गए निर्णय की उस प्रति को दर्ज नहीं करता है)।

कुछ समय बाद सजा सुनाई गई।

अभियुक्त को दिए गए निर्णय की प्रति।

8. जैसा कि ऊपर संक्षेप में कहा गया है, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित आदेश-पत्र को बारीकी से पढ़ने और जांच करने से यह स्पष्ट होगा कि अभियुक्त को अपनी पसंद के वकील को शामिल करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था और इसके बजाय उसका निवेदन दर्ज किया गया था कि वह कानूनी सहायता के माध्यम से नियुक्त वकील द्वारा बचाव करना चाहता है। शुरू से ही, मुकदमा शनिवार और रविवार को छोड़कर दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलता रहा और अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए सभी गवाहों को समन जारी किए बिना पेश किया गया। एक गवाह-सुनील को प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से जिला जेल, धार से पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, इस गवाह से कभी पूछताछ नहीं की गई और न ही इस बात का कोई संकेत है कि इस गवाह को छोड़ दिया गया है। यह गवाह (सुनील) है जिसे प्राथमिकी में संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। इसलिए इस गवाह से पूछताछ न होने से अभियोजन पक्ष के मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा हो गया है। यह ध्यान देने योग्य नहीं है कि आरोप पत्र के साथ एफएसएल रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थीं। इन्हें 04.05.2018 पर निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त से कभी यह नहीं पूछा गया कि क्या वह दस्तावेजों को स्वीकार करता है, जैसा कि Cr.P.C की धारा 244 के तहत आवश्यक है। न ही कोई गवाह 985

नवीन @अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 986 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

इन रिपोर्टों को साबित करने के लिए बुलाया गया था। आई. डी. 1 पर अभियोजन पक्ष का मामला बंद होने के बाद, अगले ही दिन यानी आई. डी. 2 पर अभियुक्त से पूछताछ की गई और उसके बाद अगले ही दिन यानी आई. डी. 3 पर बचाव पक्ष के गवाह से पूछताछ के लिए मामला दर्ज किया गया। इसके लिए विशेष नोटिस की आवश्यकता होती है कि आरोपी जेल में था और उसका बचाव उसकी पसंद के वकील द्वारा नहीं बल्कि कानूनी सहायता वकील द्वारा किया गया था। वह स्वयं गवाह को पेश करने की स्थिति में नहीं था, फिर भी उसे अगले दिन यानी 10.05.2018 पर अपने गवाहों को मौजूद रखने का निर्देश दिया गया था। इस तारीख को, वह अपने गवाहों को पेश नहीं कर सके, इसलिए, उनका बचाव बंद कर दिया गया था, और मामले को अवकाश के बाद अंतिम बहस के लिए पोस्ट किया गया था।

9. इस प्रकार के मामले में, मुकदमा दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया गया था और आदेश-पत्र में यह दर्ज नहीं किया गया है कि गवाहों के बयान की प्रतियां आरोपी या उसके वकील को प्रदान की गई थीं, यह ज्ञात नहीं है कि क्या बचाव पक्ष के वकील को सभी आवश्यक सामग्री प्रदान की गई थी जिसके आधार पर वह अपनी अंतिम दलीलें दे सकता था।

10. इस प्रकार आदेश-पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि बचाव पक्ष के वकील, जो कानूनी सहायता के माध्यम से लगे हुए थे, को खुद को प्रभावी रूप से तैयार करने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान किए बिना मुकदमा जल्दबाजी में आयोजित किया गया था। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि डी. एन. ए. रिपोर्ट, एफ. एस. एल. रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट की प्रतियां 04.05.2018 पर मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गईं।

11. बशीरा बनाम के मामले में। यू. पी. 4 की स्थिति में, लगभग ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई, जैसे कि वर्तमान मामले में, जब मुकदमा 13 दिनों में चलाया गया था। अभियुक्त वकील द्वारा की गई दलीलों से निपटने के लिए अभियुक्त का बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर की कमी का प्रस्ताव करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 8 और 9 में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

“8. अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि, अपीलार्थी के वकील के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद, श्री शुक्ला को बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। न्यायाधीश द्वारा रखे गए आदेश-पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही वकील की नियुक्ति की गई, अभियुक्त को आरोप पढ़ा दिया गया और उसकी याचिका दर्ज होने के बाद गवाहों से पूछताछ शुरू की गई। वकील ने, निश्चित रूप से, अपनी पूरी कोशिश की

4 आकाशवाणी 1968 एस. सी. 1313

गवाहों से उस हद तक जिरह करना जहाँ तक उनके लिए उपलब्ध बहुत कम समय में करना संभव था। यह सच है कि अभिलेख में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वकील ने बचाव तैयार करने के लिए और समय मांगा था, लेकिन हमारी राय में, यह कोई मायने नहीं रखता है। नियम स्वयं न्यायालय को इस उद्देश्य के लिए वकील को पर्याप्त समय देने का कर्तव्य देता है और अभिलेख से पता चलना चाहिए कि उसे समय देकर नियम का पालन किया गया था जिसे न्यायालय मामले की परिस्थितियों में पर्याप्त मानता था। इस मामले में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि न्यायमित्र वकील की नियुक्ति के तुरंत बाद मुकदमा चलाया गया था और वास्तव में, यदि किसी भी समय अनुमति दी गई थी, तो यह नाममात्र था। इन परिस्थितियों में, यह माना जाना चाहिए कि इस नियम की आवश्यकताओं का कोई अनुपालन नहीं किया गया था।

9. इस संबंध में, हम दो उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जहां एक समान स्थिति उत्पन्न हुई थी। इन रे: आल्ला नागेश्वर राव, याचिकाकर्ता (1) का संदर्भ मद्रास क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के नियम 228 के लिए दिया गया था। उस मामले में, जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है, अभियुक्त व्यक्ति का बचाव करने के लिए राज्य की कीमत पर एक वकील को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने यह अभिनिर्धारित किया था कि वे तब पीठ की ओर से बोल रहे थे:-

“ इस नियम का केवल औपचारिक अनुपालन नियम के अंतर्निहित उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। अभियुक्त की ओर से नियुक्त अधिवक्ता को अपना मामला तैयार करने और अपने मुवक्किल की ओर से इसका संचालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि दिया गया समय अनुचित था और परिस्थितियों में, अभियुक्त को अपना बचाव करने का कोई वास्तविक अवसर नहीं दिया गया था।”

यह विचार इस तथ्य के आधार पर व्यक्त किया गया था कि वकील को मुकदमे से दो घंटे पहले आरोपी के लिए नियुक्त किया गया था। मथाई थोमन बनाम राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय एक सत्र मुकदमे पर विचार कर रहा था जिसमें वकील को 2 अगस्त, 1958 को आरोपी का

बचाव करने के लिए लगाया गया था, जब मुकदमा 4 अगस्त, 1958 को शुरू होने के लिए तैनात किया गया था, यह दर्शाता है कि वकील को तैयार होने और आरोपी से निर्देश प्राप्त करने के लिए मुश्किल से एक दिन से अधिक की अनुमति दी गई थी। सत्र न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा:

987

नवीन @अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 988 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

“इस तरह की प्रथाएं आपराधिक व्यवहार नियमों के नियम 21 के तहत वकीलों की नियुक्ति को एक प्रहसन तक कम कर देंगी, जो कानून की अदालतों पर डाले गए कर्तव्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि यह देखा जा सके कि कोई भी व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक निष्पक्ष और उचित अवसर के बिना जीवन और स्वतंत्रता से वंचित न रहे। हम मानते हैं कि इस तरह के मामलों में वकील को मुकदमे से कम से कम 10 से 15 दिन पहले नियुक्त किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड की प्रतियां भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।” हमारी राय में, वकील की नियुक्ति और मुकदमे की शुरुआत के बीच के समय के बारे में कोई कठोर और तेज नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है; लेकिन, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर, सत्र न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वकील को दिया गया समय बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त है। वर्तमान मामले में, जब मुकदमा शुरू होने से ठीक पहले वकील की नियुक्ति की गई थी, तो यह स्पष्ट है कि इस संबंध में प्रक्रिया के नियम की आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता थी।”

12. बशीरा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नियम का उल्लंघन करते हुए आयोजित मुकदमे में अपीलार्थी को दोषी ठहराए जाने और मौत की सजा दिए जाने के परिणामस्वरूप कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए उसे जीवन से वंचित किया जाएगा। यह मानते हुए कि मुकदमे में अपनाई गई प्रक्रिया में त्रुटि के कारण दोषसिद्धि अमान्य है, यह निर्देश दिया गया कि आरोपी पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा और मामले को सत्र न्यायालय में वापस भेजा जाएगा।

13. एक निष्पक्ष मुकदमे के महत्व से संबंधित मुद्दे पर विचार किया गया था

यह न्यायालय ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्न में है। बनाम गुजरात राज्य और

ओआरएस। 5 ('बेस्ट बेकरी केस' के रूप में जाना जाता है) जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 38 से 40 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:-

“38. आपराधिक मुकदमा मामले में मुद्दों की न्यायिक जांच है और इसका उद्देश्य किसी तथ्य या प्रासंगिक तथ्यों के रूप में किसी मुद्दे पर निर्णय पर पहुंचना है जो तथ्य मुद्दे की खोज का कारण बन सकता है और ऐसे तथ्यों का प्रमाण प्राप्त करना है जिन पर अभियोजन पक्ष और आरोपी अपनी दलीलों के माध्यम से पहुंचे हैं।

अभियुक्त का अपराध या निर्दोषता। चूँकि इसका उद्देश्य न्याय दिलाना और दोषियों को दोषी ठहराना और निर्दोष की रक्षा करना है, इसलिए मुकदमा सच्चाई की खोज होनी चाहिए, न कि तकनीकीताओं पर लड़ाई और ऐसे नियमों के तहत संचालित किया जाना चाहिए जो निर्दोष की रक्षा करें और दोषी को दंडित करें। आरोप का प्रमाण जो उचित संदेह से परे होना चाहिए, मौखिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की समग्रता के न्यायिक मूल्यांकन पर निर्भर होना चाहिए, न कि एक अलग जांच द्वारा।

39. अभियुक्त या अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई देने में विफलता कानून की उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों का भी उल्लंघन करती है। कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा में यह अंतर्निहित है कि निंदा केवल उस मुकदमे के बाद की जानी चाहिए जिसमें सुनवाई वास्तविक हो, न कि दिखावा या केवल प्रहसन और ढोंग। चूँकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रक्रिया को संरक्षित करने के अवसर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे जल्दबाजी, चरण-प्रबंधित, अनुरूप और पक्षपातपूर्ण परीक्षण द्वारा दूषित और उल्लंघन किया जा सकता है। 40. अपराधिक अपराध के लिए निष्पक्ष मुकदमे में न केवल कानून के ढांचे और रूपों के तकनीकी पालन में शामिल है, बल्कि सच्चाई को उजागर करने और न्याय की विफलता को रोकने के लिए इसके सिद्धांतों को मान्यता देने और उनके उचित अनुप्रयोग में भी शामिल है।”

(जोर दिया गया) 14. अनोखा लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, 6 यह न्यायालय, इस मुद्दे पर बेस्ट बेकरी (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद, पैराग्राफ 21 से 23 में निम्नानुसार कहा गया है:-

“21. वर्तमान मामले में न्यायमित्र को आई. डी. 1 पर नियुक्त किया गया था, और उसी तारीख को, आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त का बचाव करने के लिए वकील को बुलाया गया था। कोई भी निश्चित रूप से कह सकता है कि न्यायमित्र के पास बुनियादी दस्तावेजों को देखने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं था, न ही आरोपी के साथ किसी भी चर्चा या बातचीत का लाभ और मामले पर विचार करने के लिए समय था। इस प्रकार, इससे पहले कि न्यायमित्र मामले की पकड़ में आ पाते, आरोप तय किए गए।

6 (2019) 20 एससीसी 196 989

नवीन @अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 990 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

22. संबंधित प्रावधान अर्थात् संहिता की धारा 227 और 228 मामले के रिकॉर्ड और इसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार करने और 'उस ओर से अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने' के बाद आरोप तैयार करने पर विचार करती है। यदि इन प्रावधानों के

प्रयोजनों के लिए सुनवाई सार्थक होनी है, न कि केवल एक नियमित संबंध, तो उक्त प्रावधानों के तहत अधिकार अपीलार्थी को अस्वीकार कर दिया गया था।

23. हमारे सुविचारित विचार में, विचारण न्यायालय को अपने दम पर मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए था ताकि न्यायमित्र को मामले को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय का लाभ मिल सके। हमारे विचार में, विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने मुकदमे के संचालन में तेजी लाई होगी, लेकिन न्याय के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाया होगा। न केवल ऊपर बताए गए दिन ही आरोप तय किए गए थे, बल्कि उसके बाद एक पखवाड़े के भीतर मुकदमा चलाया गया था। इस प्रक्रिया में, टी वह

सहायता जो अपीलार्थी कानूनी सहायता के रूप में पाने का हकदार था, वास्तविक और सार्थक नहीं हो सकती थी।”

इस न्यायालय ने, अनोखीलाल (उपरोक्त) मामले में, निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को भी दरकिनार कर दिया और नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया। इस न्यायालय ने उन मामलों में भी कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं जहां अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कानूनी सहायता के माध्यम से नियुक्त वकील द्वारा किया जाता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 31 में बताए गए मानदंडों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“ 31.1 सभी मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की संभावना है, विद्वान अधिवक्ता जिन्होंने अकेले बार में कम से कम 10 साल की वकालत की है, उन्हें न्यायमित्र के रूप में या किसी अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी सेवाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।

31.2 उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाने से संबंधित सभी मामलों में, न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पहले न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

31.3 जब भी किसी विद्वान वकील को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वकील को मामला तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ उचित समय प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में कोई कठोर और तेज नियम नहीं हो सकता है। हालांकि, कम से कम सात दिनों के समय को आम तौर पर उचित और पर्याप्त माना जा सकता है।

31.4 अभियुक्त की ओर से न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किसी भी विद्वान वकील को आम तौर पर संबंधित अभियुक्त के साथ बैठक करने और चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तरह की बातचीत सहायक साबित हो सकती है जैसा कि इम्तियाज रमजान खान में देखा गया था।”

15. बेस्ट बेकरी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा है कि निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत अब कानून के कई क्षेत्रों को सूचित और सक्रिय करता है। यह कई नियमों और प्रथाओं में प्रतिबिंबित होता है। यह एक निरंतर, जारी विकास प्रक्रिया है जो लगातार नई और बदलती परिस्थितियों और स्थिति की

आवश्यकताओं के अनुकूल होती है-कभी-कभी विशिष्ट और अपराध की प्रकृति से संबंधित, इसमें शामिल व्यक्ति-सीधे या सामाजिक प्रभाव और सामाजिक जरूरतों के पीछे काम करते हैं और यहां तक कि कई शक्तिशाली संतुलन कारक भी हैं जो आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के रास्ते में आ सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा में अभियुक्त, पीड़ित और समाज के हितों का परिचित त्रिकोण शामिल है।

16. यह आगे देखा गया कि निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा की कोई विश्लेषणात्मक, सर्व-व्यापक या संपूर्ण अवज्ञा नहीं हो सकती है, और इसे अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक स्थितियों की अनंत विविधता में निर्धारित करना पड़ सकता है, अर्थात् क्या कुछ ऐसा जो मुकदमे से पहले या मुकदमे में किया गया था या कहा गया था, निष्पक्षता की गुणवत्ता को उस हद तक वंचित कर रहा है जहां न्याय की विफलता हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में निष्पक्ष रूप से निपटाए जाने का अंतर्निहित अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करना आरोपी के साथ उतना ही अन्याय है जितना कि पीड़ित और समाज के साथ। स्पष्ट रूप से निष्पक्ष मुकदमे का अर्थ एक निष्पक्ष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति का वातावरण होगा। निष्पक्ष विचारण का अर्थ है एक ऐसा विचारण जिसमें अभियुक्त, गवाहों या जिस कारण पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उसके लिए या उसके खिलाफ पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह समाप्त हो जाता है। कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा में यह अंतर्निहित है कि निंदा केवल उस मुकदमे के बाद की जानी चाहिए जिसमें सुनवाई वास्तविक हो, न कि दिखावा या केवल प्रहसन और ढोंग। चूंकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रक्रिया को संरक्षित करने के अवसर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अति-जल्दबाजी, चरण-प्रबंधित, अनुरूप और पक्षपातपूर्ण परीक्षण द्वारा दूषित और उल्लंघन किया जा सकता है। इस प्रकार यह तय किया जाता है कि एक जल्दबाजी में मुकदमा जिसमें आरोपी को अपना बचाव करने के लिए उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मुकदमे को अर्थहीन और चरण-प्रबंधित होने के रूप में दूषित कर देगा। यह न्यायिक शांति के सिद्धांत का उल्लंघन है।

991

नवीन @अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 992 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

17. निष्पक्ष सुनवाई के संदर्भ में "न्यायिक शांति" के सिद्धांत को अक्षर और भावना में पालन करने के लिए विस्तार से बताए जाने की आवश्यकता है। हमारे विचार में, न्याय के पवित्र कक्षों में, एक निष्पक्ष और निष्पक्ष मुकदमे का सार न्यायिक शांति के दृढ़ आलिंगन में निहित है। एक न्यायाधीश पर यह दायित्व है कि वह शांति की एक आभा को उजागर करे, तर्क के एक अभयारण्य को बंद करे और मापा विचार-विमर्श करे। न्याय के कक्षों में, भाला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि जानबूझकर यह सुनिश्चित करता है कि हर आवाज, सबूत के हर टुकड़े को उसका उचित महत्व दिया जाए। न्यायिक शांति का विस्तार न केवल संवैधानिक अखंडता के स्तंभ के रूप में कार्य करता है, बल्कि उस आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर कानूनी प्रणाली में विश्वास बनाया जाता है। यह एक ऐसा प्रकाशस्तंभ है जो जल्दबाजी या पूर्वाग्रह से मुक्त निर्णय की दिशा में प्रकाश डालता है, इस प्रकार सभी के लिए न्याय की पवित्रता को बनाए रखता है।

18. डी. एन. ए. रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य से संबंधित मुद्दे पर इस अदालत ने राहुल के मामले में हाल ही में दिए गए फैसले में विचार किया है।

v. दिल्ली राज्य, गृह मंत्रालय एयर एंड अन्न। 7 जिसमें निम्नलिखित

पैराग्राफ 36 और 38 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

“36. विद्वान न्यायमित्र ने फोरेंसिक साक्ष्य पर भी हमला किया है अर्थात् डी. एन. ए. प्रोफि लिंग दिनांक 18-4-2012 (एक्स. पी-23/1) दोषारोपण करते हुए। उन्होंने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों का संग्रह स्वयं बहुत संदिग्ध था, उक्त फोरेंसिक साक्ष्य न तो वैज्ञानिक रूप से था और न ही कानूनी रूप से साबित हुआ था और अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ परिस्थिति के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था। न्यायमित्र द्वारा की गई उक्त दलीलों में न्यायालय सार प्रस्तुत करता है। डी. एन. ए. साक्ष्य धारा 45 के तहत परिकल्पित राय साक्ष्य की प्रकृति में है और किसी भी अन्य राय साक्ष्य की तरह, इसका संभावित मूल्य मामले-दर-मामले भिन्न होता है।

38. यह सच है कि पी. डब्ल्यू. 23 डॉ. बी. के. महापात्रा, सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक सी. अधिकारी (जीव विज्ञान) ने गवाह बॉक्स में कदम रखा था और डी. एन. ए. प्रोफि लिंग के बारे में उनकी रिपोर्ट को एक्स्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया था। पीडब्लू 23/ए, हालांकि केवल एक दस्तावेज का प्रदर्शन, इसकी सामग्री को साबित नहीं करेगा। द.

7 (2023) 1 एससीसी 83

रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी से संबंधित और मृतक से संबंधित सभी नमूनों को जाँच अधिकारी द्वारा 14-2-2012 और 16-2-2012 पर जब्त कर लिया गया था और उन्हें 27-2-2012 पर जाँच के लिए सी. एफ. एस. एल. को भेजा गया था। इस अवधि के दौरान वे पुलिस थाने के मलखाने में रहे। इन परिस्थितियों में, एकत्र किए गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। न तो निचली अदालत ने और न ही उच्च न्यायालय ने डी. एन. ए. रिपोर्टों में तथ्यों के अंतर्निहित आधार की जांच की है और न ही उन्होंने इस तथ्य की जांच की है कि क्या तकनीकों को विशेषज्ञ द्वारा विश्वसनीय रूप से लागू किया गया था। अभिलेख पर इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, डी. एन. ए. प्रोफि लिंग के संबंध में सभी रिपोर्ट अत्यधिक असुरक्षित हो जाती हैं, विशेष रूप से जब परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों का संग्रह और सील भी संदेह से मुक्त नहीं था।”

(जोर दिया गया) 19. मनोज और ओआरएस के मामले में। बनाम। एम. पी. 8 का राज्य, यह आयोजित किया गया था

कि यदि डी. एन. ए. साक्ष्य को ठीक से प्रलेखित, एकत्र, पैक और संरक्षित नहीं किया जाता है, तो यह अदालत में स्वीकार्यता के लिए कानूनी और वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। चूंकि डी. एन. ए. के बहुत छोटे नमूनों का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, इसलिए डी. एन.

ए. साक्ष्य का पता लगाने, एकत्र करने और संरक्षित करते समय संदूषण के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि जब किसी अन्य स्रोत से डी. एन. ए. मामले से संबंधित डी. एन. ए. के साथ मिल जाता है तो यह दूषित हो सकता है। यह तब भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति साक्ष्य पर छींकता है या खांसता है या उसके मुंह, नाक या चेहरे के अन्य हिस्से को छूता है और फिर उस क्षेत्र को छूता है जिसमें परीक्षण के लिए डीएनए हो सकता है। जैविक नमूने वाले प्रदर्शन, जो मामले को हल करने के लिए पीड़ितों, संदिग्धों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, अपराध स्थल की पहचान की जानी चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए, पैक किया जाना चाहिए और डीएनए प्रोफी लिंग के लिए भेजा जाना चाहिए।

20. अनिल @एंथनी अरिक्सवामी जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ

महाराष्ट्र 9, पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया है:-

“18. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डी. एन. ए. एक अणु है जो सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध करता है। डीएनए जीनोटाइप हो सकता है

8 (2023) 2 एस. सी. सी. 353 9 (2014) 4 एस. सी. सी. 69 993

नवीन @अजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य [प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 994

हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा आदि जैसी किसी भी जैविक सामग्री से प्राप्त। अब, कई वर्षों से, डी. एन. ए. प्रोफाइल ने भी फोरेंसिक जांच पर जबरदस्त प्रभाव दिखाया है। आम तौर पर, जब अपराध स्थल पर पाए गए नमूने का डीएनए प्रोफाइल संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है, तो आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की जैविक उत्पत्ति समान है। डी. एन. ए. प्रोफाइल वैध और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष परिणाम में भिन्नता प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रक्रिया पर निर्भर करती है।”

(जोर दिया गया)

21. हाथ में मामले में, अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है जिसमें अभियोजन पक्ष को परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी को साबित करना होता है और कड़ी में महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं डीएनए रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट हैं। जब अभियुक्तों द्वारा रिपोर्टों को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, तो इसे यह कहते हुए दरकिनार कर दिया गया था कि भले ही रिपोर्ट के लेखकों को धारा 293 Cr.P.C के संदर्भ में साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया गया था, लेकिन रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाए जा सकते क्योंकि बचाव पक्ष के पास मुकदमे के दौरान रिपोर्ट के लेखकों से जिरह करने का अवसर था। हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि बचाव पक्ष के पास विशेषज्ञों से जिरह करने का अवसर था। मुकदमा दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाया जाता है जिसमें आरोपी, जो जेल में था और कानूनी सहायता से एक वकील द्वारा बचाव किया गया था, को निचली अदालत द्वारा एक दिन में अपना बचाव गवाह पेश करने के लिए मजबूर किया गया था। अभियुक्त के लिए स्वयं डॉ. अनिल

कुमार सिंह और डॉ. कमलेश कैथोलिया, रिपोर्ट (Ex.P-72) के लेखकों को एक दिन में पेश करना असंभव था क्योंकि उक्त विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारी हैं और जेल में एक अभियुक्त के अनुरोध पर अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक जादू की छड़ी ले जा रहा हो जो एक फोन कॉल पर उच्च योग्य शिक्षा विशेषज्ञों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, को पेश करने के लिए उपलब्ध है। वास्तविक अर्थ में, अपीलार्थी के पास विशेषज्ञों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं था।

22. उपरोक्त सभी कारणों से, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना जल्दबाजी में मुकदमा चलाया। अतः दोषसिद्धि और सजा का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

न्यायालय को एतद्द्वारा अलग कर दिया जाता है और अपीलार्थी को अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर प्रदान करके मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया जाता है। निचली अदालत और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, इंदौर को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी को उसकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए एक वरिष्ठ वकील की सहायता प्रदान करें।

23. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान